


तारीख
हुकम

21-10-19

वादी/प्राथी मय आधिवक्ता अनुपारखित
वकील अप्राथी उपारखित। प्राथी एवं वकील
प्राथी को तीन बार, बार-बार आवाज
दी गई, बावजूद इसके प्राथी मय वकील
अनुपारखित। अतः प्राथी का प्रार्थना-पत्र
अन्तर्गत धारा 212 R.A. अदम धजरी
अदम पेशी में श्वारीज किया जाता
है पत्रावली के सब-शुमार होकर नम्बर
से कम हो, दारखिल दफ्तर हो।


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) रानी

गणेशगढ़ (विशालपुर) दि 21/10/19

गणेशगढ़ (विशालपुर) दि 21/10/19

गणेशगढ़ (विशालपुर)